भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1039 जिसका उत्तर
शुक्रवार, 24 जुलाई, 2026/2 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है

हरित सागर ग्रीन पोर्ट दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन

†1039. श्री श्रीभरत मतुकुमिल्ली:

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के सभी प्रमुख पत्तनों ने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, कार्बन फुटप्रिंट और पर्यावरणीय प्रदर्शन संकेतकों का आकलन करने के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 को आधार वर्ष मानकर हरित सागर-ग्रीन पोर्ट दिशानिर्देश, 2023 के अंतर्गत अनिवार्य आधारभूत अध्ययन किए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी पत्तन-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक प्रमुख पत्तन द्वारा वर्ष 2023 से निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में की गई प्रगति का प्रति टन हैंडल किए गए माल पर कार्बन तीव्रता में कमी, नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाना, पत्तन उपकरणों का विद्युतीकरण और हरित क्षेत्र में वृद्धि सहित पत्तन-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2030 तक प्रत्येक प्रमुख पत्तन की अनुमानित कार्गो हैंडलिंग क्षमता और उसके अनुरूप अनुमानित कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तथा कार्बन फुटप्रिंट का ब्यौरा क्या है और क्या संभाले जाने वाले कार्गो में अनुमानित वृद्धि के बावजूद कुल उत्सर्जन में गिरावट आने की उम्मीद है; और

(घ) सरकार द्वारा वर्ष 2030 तक हरित सागर लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय प्रस्तावित हैं?

उत्तर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) से (घ): **"हरित सागर" हरित पत्तन दिशानिर्देश, 2023** के तहत, सभी महापत्तनों को ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, कार्बन फुटप्रिंट और पर्यावरण प्रदर्शन संकेतकों (ईपीआई) का आकलन करने के लिए वित्त **वर्ष 2022-23** को आधार वर्ष मानते हुए एक आधारभूत अध्ययन करना अपेक्षित है। इन दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के लिए महापत्तनों द्वारा की गई प्रगति पत्तन-वार **अनुबंध-I** में दी गई है। सभी महापत्तनों की 2030 तक अनुमानित कुल कार्गो हैंडलिंग **क्षमता 2,000 एमटीपीए से अधिक** है।

इन दिशानिर्देशों के तहत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, महापत्तन विभिन्न विकार्बनीकरण उपाय कार्यान्वित कर रहे हैं, जिनमें नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार, पत्तन उपकरणों और वाहनों का विद्युतीकरण, तटीय विद्युत सुविधाओं का प्रावधान, वैकल्पिक समुद्री ईंधन को बढ़ावा देना, हरित टगों की खरीद, हरित कवर में वृद्धि, ऊर्जा दक्षता में सुधार, अपशिष्ट और जल प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण और स्थायी प्रौद्योगिकियों को अपनाना शामिल है। इन उपायों का उद्देश्य हैंडल किए गए कार्गो की प्रति टन कार्बन उत्सर्जन तीव्रता (CO_2) उत्सर्जन में 2030 तक 30% कमी करना है, जबकि कार्गो हैंडलिंग क्षमता में स्थायी वृद्धि को सक्षम बनाना है।

अनुबंध-I

क्र.सं.	पत्तन	वित्त वर्ष 2022-23 के उपयोग से किया गया आधारभूत अध्ययन	पत्तन उपकरण विद्युतीकरण (% में)		नवीकरणीय ऊर्जा उपभोग का हिससा (स्व-सृजित + ग्रीड से खरीद) (% में)		हरित बेल्ट के अंतर्गत क्षेत्र (% में)	
			2023	2026	2023	2026	2023	2026
1	डीपीए	जी, हां	88.9	89.47	31.2	55.49	1.77	1.83
2	एमबीपीए	जी, हां	100	100	13.9	85.44	-	-
3	जेएनपीए	जी, हां	13.4	22.78	2.7	57.88	33.72	33.72
4	एमजीपीए	जी, हां	100	100	1.2	9.62	32.97	32.97
5	एनएमपीए	-	100	100	100	100	33.33	33.33
6	सीओपीए	जी, हां	78.79	78.79	1	5.17	6.41	8.77
7	वीओसीपीए	जी, हां	55.1	80.5	5	94	5.25	20.67
8	सीएचपीए	जी, हां	9.52	11.11	2.4	2.18	1.68	1.82
9	केपीएल	जी, हां	77.78	79.2	50	66.9	22.83	23
10	वीपीए	जी, हां	80	83.3	34.9	51	17.53	27
11	पीपीए	जी, हां	59	68	0.1	0.25	17.66	20.9
12	एसएमपीए	जी, हां	36.8	37.8	4.2	5.6	34.5	34.5
